स्टुडेंट स्पोर्ट सर्विसिज़ (विद्यार्थी सहायता सेवाएं) गोपनीयता जानकारी और कन्सेन्ट फॉर्म (सहमति प्रपत्र)

इस प्रपत्र का उद्देश्य आपको यह निर्णय लेने के लिए जानकारी उपलब्ध कराना है कि क्या आपको इस बात की सहमति देनी चाहिए कि आपके बच्चे/आपकी बच्ची को क्षेत्र, नेटवर्क या स्कूल द्वारा नियुक्त विद्यार्थी सहायता सेवाओं (स्टुडेंट स्पोर्ट सर्विसिज़ - SSS) या किसी अन्य एलायड हेल्थ व्यवसायी से सहायता प्राप्त हो।

इस प्रपत्र में 'विद्यार्थी सहायता सेवाओं' का तात्पर्य क्षेत्र, स्कूल नेटवर्क या स्कूल द्वारा नियुक्त विद्यार्थी सहायता सेवाओं (स्टुडेंट स्पोर्ट सर्विसिज़ - SSS) या कोई अन्य एलायड हेल्थ व्यवसायी से है।

इस प्रपत्र के चार भाग हैं:

1. पृष्ठभूमि की जानकारी
2. गोपनीयता की सुरक्षा
3. आपकी सहमति
4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न।

कृपया इस प्रपत्र के प्रत्येक भाग को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि आप इस प्रपत्र के किसी भाग को समझ नहीं पाते/पाती हैं, तो कृपया अपने स्कूल के विद्यार्थी सहायता सेवाओं के समन्वयक (स्टुडेंट स्पोर्ट सर्विसिज़ कॉर्डिनेटर) से बात करें। कृपया ध्यान दें कि यदि इस प्रपत्र के सहमति भाग पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं, तो आप या आपका बच्चा/आपकी बच्ची विद्यार्थी सहायता सेवाएं प्राप्त नहीं कर सकता/सकती है।

यह प्रपत्र 'आपके बच्चे/आपकी बच्ची' वाक्यांश का प्रयोग करता है, परंतु ऐसा हो सकता है कि आपको यह प्रपत्र इसलिए मिला हो क्योंकि आप विद्यार्थी सहायता सेवाओं को प्राप्त करने की सहमति देने के लिए सक्षम हैं (क्योंकि आपको मैच्योर माइनर [पूर्ण रूप से विकसित नाबालिग] के तौर पर वर्गीकृत किया गया है या आप एक वयस्क विद्यार्थी हैं), अथवा क्योंकि आप किसी बच्चे/बच्ची के संरक्षक या अनौपचारिक देखभाल-कर्ता हैं। इनका विवरण इस प्रपत्र के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के सैक्शन (अनुभाग) में और अधिक विस्तार से किया गया है।

1. पृष्ठभूमि की जानकारी

शिक्षा एवं प्रारम्भिक बाल्यकाल विकास का विभाग (Department of Education and Early Childhood Development - DEECD) विक्टोरियाई सरकार के लिए शैक्षिक सेवाएं प्रदान करता है। विद्यार्थी सहायता सेवाएं DEECD का एक भाग हैं। विद्यार्थी सहायता सेवाओं का उद्देश्य ज्ञान-प्राप्ति में विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करने वाले बच्चों और युवा लोगों की सहायता करना है ताकि वे विभिन्न प्रकार की कार्यनीतियों और विशेषज्ञ समर्थन के प्रावधान के माध्यम से अपना शैक्षिक और विकासात्मक सामर्थ्य प्राप्त कर सकें।

विद्यार्थी सहायता सेवाओं में निम्नलिखित के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल हैं:

- मनोवैज्ञानिक और मार्गदर्शन अधिकारी
- स्पीच पैथालॉजिस्ट्स
- सामाजिक कार्यकर्ता
- अतिथि अध्यापक
- अन्य एलायड हेल्थ व्यवसायी।

SSS अधिकारियों के बारे में और अधिक जानकारी इस प्रपत्र से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में शामिल है।

यह प्रपत्र आपको इसलिए प्रदान किया गया है क्योंकि आपके स्कूल या आपके बच्चे/आपकी बच्ची के स्कूल का मानना है कि आपको या आपके बच्चे/आपकी बच्ची को इन SSS अधिकारियों में से किसी एक या एक से अधिक अधिकारी से सहायता प्राप्त करने से लाभ मिलेगा।

2. गोपनीयता की सुरक्षा

DEECD हर व्यक्ति की गोपनीयता का सम्मान करता है और यह हमारे द्वारा एकत्रित की जाने वाली सारी व्यक्तिगत और स्वास्थ्य जानकारी की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। विक्टोरिया में - गोपनीयता आवश्यकताओं को तय करने वाले कानून हैं: *Health Records Act 2001 (स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स अधिनियम 2001)* और *Information Privacy Act 2000 (सूचना गोपनीयता अधिनियम 2000)*। ये कानून इस बात को तय करते हैं कि विद्यार्थी सहायता सेवाओं जैसी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते समय व्यक्तिगत और स्वास्थ्य जानकारी को एकत्रित, प्रयुक्त, प्रबंधित और नष्ट करने के दौरान हमें क्या करना चाहिए।

Health Records Act (स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स अधिनियम) विद्यार्थी सहायता सेवाओं के लिए सबसे अधिक उचित है और इसके अनुसार:

- **व्यक्तिगत जानकारी** "किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी या राय (डेटाबेस में मौजूद जानकारी या राय सहित) होती है, भले ही वह जानकारी सच हो या नहीं, और भले ही वह जानकारी किसी भौतिक रूप में रिकॉर्ड की गई हो या नहीं, जिसकी पहचान स्पष्ट हो, या जानकारी अथवा राय से यथोचित रूप से पता लगाई जा सकती हो"।
- **स्वास्थ्य जानकारी** "निम्नलिखित से संबंधित जानकारी या राय होती है:
  - o किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य से संबंधित
  - o किसी व्यक्ति की विकलांगता से संबंधित
  - o किसी व्यक्ति को प्रदान की जाने सेवाओं के प्रावधान के बारे में उस व्यक्ति की व्यक्त इच्छाओं से संबंधित, जो कि व्यक्तिगत जानकारी भी होती है"।

स्वास्थ्य जानकारी में दूसरी व्यक्तिगत जानकारी शामिल होती है जिसे विद्यार्थी सहायता सेवाओं जैसी किसी स्वास्थ्य सेवा को प्रदान करने के लिए, या प्रदान करने के दौरान एकत्रित किया जाता है।

व्यक्तिगत और स्वास्थ्य जानकारी को एकत्रित करना

SSS अधिकारी निम्नलिखित माध्यम से आपके या आपके बच्चे/आपकी बच्ची की सहायता करने के लिए व्यक्तिगत और स्वास्थ्य जानकारी को एकत्रित करते हैं:

- सीखने और शामिल होने में आनी वाली बाधाओं पर ध्यान दिलाने के लिए व्यक्तियों या विद्यार्थियों के समूह को प्रत्यक्ष सहायता या इंटरवेन्शन (मध्यवर्तन) प्रदान करके
- सीखने की अतिरिक्त आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए भिन्न-भिन्न आंकलन प्रारम्भ करके (उदाहरणत: संज्ञानात्मक, स्पीच एवं भाषा, मनोसामाजिक)
- व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए योजना बनाने के द्वारा।

SSS अधिकारी केवल तब ही व्यक्तिगत और स्वास्थ्य जानकारी को एकत्रित करेंगे जब आपको या आपके बच्चे/आपकी बच्ची को सेवाएं प्रदान किए जाने के लिए ऐसा करना आवश्यक होगा।

ऐसा हो सकता है कि कुछ अवसरों पर आप या आपका बच्चा/आपकी बच्ची आपके परिवार के अन्य सदस्यों या दूसरे लोगों के बारे में बात करें। इसके परिणामस्वरूप, ऐसा हो सकता है कि सेवाएं प्रदान करते समय SSS अधिकारी आपके या आपके बच्चे/आपकी बच्ची के अलावा दूसरे लोगों से संबंधित व्यक्तिगत या स्वास्थ्य जानकारी एकत्रित करें।

कुछ अवसर ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ हम दूसरे स्वास्थ्य व्यवसायियों या दूसरी सरकारी संस्थाओं जैसी अन्य संस्थाओं से आपके या आपके बच्चे/आपकी बच्ची से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। संकलन शुरू करते समय ऐसा करने से पहले हम आपकी सहमति लेने का प्रयास करेंगे, परंतु कुछ मामलों में हमें यह सूचना सीधे उपलब्ध कराई जा सकती है।

SSS अधिकारियों द्वारा सम्भवत: एकत्रित की जाने वाली व्यक्तिगत और स्वास्थ्य जानकारी के उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- आपका और आपके बच्चे/आपकी बच्ची का नाम, पता, संपर्क विवरण
- चिकित्सीय जानकारी
- उचित परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए आवश्यक अन्य सामग्री
- परीक्षा परिणाम, स्कूल रिपोर्ट्स और स्कूल द्वारा तैयार की गई अन्य जानकारी
- आपके या आपके बच्चे/आपकी बच्ची के बारे में शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक या दूसरी स्वास्थ्य जानकारी
- आपकी या आपके बच्चे/आपकी बच्ची की विकलांगता से संबंधित विवरण
- स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य के प्रावधान के बारे में आपकी या आपके बच्चे/आपकी बच्ची की व्यक्त इच्छाएं
- उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं
- आपके या आपके बच्चे/आपकी बच्ची के बारे में आनुवांशिक जानकारी जो आपके या आपके बच्चे/आपकी बच्ची के स्वास्थ्य के लिए भविष्यसूचक हो सकती है
- आवश्यक सेवाओं के प्रावधान के लिए ज़रूरी कोई भी जानकारी।

State Government Victoria
Department of Education and Early Childhood Development

यदि आप कोई ऐसी जानकारी प्रदान करना चाहते/चाहती हैं जिसके लिए आप चाहते/चाहती हैं कि उसका प्रबंध गोपनीयता से किया जाए (अर्थात आपके बच्चे/आपकी बच्ची को इसका प्रकटीकरण न किया जाए), यद्यपि यह प्रत्यक्ष रूप से आपके बच्चे/आपकी बच्ची को विद्यार्थी सहायता सेवाएं प्रदान करने से संबंधित हो, तो यह आवश्यक है कि आप SSS अधिकारी को सूचित करें। ऐसा हो सकता है कि यदि यह जानकारी विद्यार्थी सहायता सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक हो, तो SSS अधिकारी इसे केवल रिकॉर्ड ही करें। यदि SSS अधिकारी जानकारी को रिकॉर्ड करते हैं, तो इसकी पहचान गोपनीय तौर पर की जाएगी और इसपर यह अंकन लगाया जाएगा कि इस जानकारी को गोपनीय रखा जाए।

व्यक्तिगत और स्वास्थ्य जानकारी की सत्यता

हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि आपके या आपके बच्चे/आपकी बच्ची के बारे में संभाले रखी सारी जानकारी अप-टू-डेट (नवीन) और सही है। परंतु, यदि आपकी परिस्थितियाँ बदलती हैं, आप घर स्थानांतरण करते/करती हैं, आपके टेलीफोन नम्बर बदल जाते हैं या आपके द्वारा हमें प्रदान की गई कोई अन्य जानकारी पुरानी हो जाती है, तो कृपया हमें सूचित करें।

व्यक्तिगत और स्वास्थ्य जानकारी का प्रयोग करना

SSS अधिकारी आपके या आपके बच्चे/आपकी बच्ची से संबंधित जानकारी के बारे में DEECD के दूसरे कर्मचारियों, कांट्रेक्टरों या एजेंटों, और सरकारी स्कूल काउंसिल के कर्मचारियों, कांट्रेक्टरों या एजेंटों (उदाहरणत: स्कूली कार्य समय के पश्चात देखभाल प्रदान करने वाले प्रदाताओं) से चर्चा कर सकते हैं ताकि आपको या आपके बच्चे/आपकी बच्ची को विद्यार्थी सहायता सेवाएं प्रदान की जा सकें, और ताकि शिक्षण कर्मचारी और DEECD या स्कूल काउंसिल के दूसरे कर्मचारी, कांट्रेक्टर या एजेंट आपको या आपके बच्चे/आपकी बच्ची को दिए जानी वाली देखभाल के अपने कर्तव्य से मुक्त हो सकें। इस जानकारी का प्रयोग आपके या आपके बच्चे/आपकी बच्ची के स्कूल के कर्मचारियों द्वारा आपके या आपके बच्चे/आपकी बच्ची को शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करने, और उनके लिए समायोजन करने के उद्देश्यों से किया जा सकता है। इस चर्चा में शामिल होने वाले लोगों में SSS अधिकारी, अध्यापक, शिक्षा सहायता कर्मचारी, अन्य स्वास्थ्य व्यवसायी, या स्कूल काउंसिल द्वारा आयोजित किसी ऐसी शिक्षा व देखभाल सेवा के कर्मचारी सम्मिलित हो सकते हैं जिसमें आपका बच्चा/आपकी बच्ची भाग लेता/लेती हो।

यदि स्वास्थ्य जानकारी का प्रकटीकरण DEECD के अन्य कर्मचारियों, कांट्रेक्टरों या एजेंटों, अथवा स्कूल काउंसिल के कर्मचारियों, कांट्रेक्टरों या एजेंटों को किया जाता है, तो इन लोगों के लिए यह आवश्यक है कि वे *Health Records Act (स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स अधिनियम)* और *Information Privacy Act (सूचना गोपनीयता अधिनियम)* (अथवा *गोपनीयता अधिनियम 1988 (कॉमनवेल्थ)*, जहाँ उपयुक्त हो) का अनुपालन करें।

अन्यथा कानूनन ऐसा करने की अनुमति होने पर ही प्रकटीकरण या प्रयोग किया जाएगा। कुछ परिस्थितियों में DEECD अन्य कानूनों के द्वारा आपके या आपके बच्चे/आपकी बच्ची के बारे में संभाले रखी जानकारी का प्रकटीकरण नियामक एजेंसी, कोर्ट (न्यायालय) या ट्रिब्यूनल जैसी दूसरी संस्थाओं को करने के लिए बाध्य हो सकता है।

व्यक्तिगत और स्वास्थ्य जानकारी को ऐक्सेस (प्राप्त) करना

Freedom of Information Act 1982 (सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 1982) के तहत आप DEECD द्वारा अपने और अपने बच्चे/अपनी बच्ची के बारे में संभाले रखी व्यक्तिगत और स्वास्थ्य जानकारी को ऐक्सेस (प्राप्त) और संशोधित कर सकते/सकती हैं। इसके बारे में चर्चा करने के लिए कृपया नीचे पहचान किए गए अपने स्कूल के SSS कॉर्डिनेटर (समन्वयक) से संपर्क करें।

3. आपकी सहमति

मैं निम्नलिखित अधिकारियों को मेरे बच्चे/मेरी बच्ची को सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता/देती हूँ (कृपया सही का निशान लगाएं):

- ☐ समस्त विद्यार्थी सहायता सेवाएं
- ☐ मनोवैज्ञानिक और मार्गदर्शन अधिकारी
- ☐ सामाजिक कार्यकर्ता
- ☐ अन्य एलायड स्वास्थ्य अधिकारी
- ☐ स्पीच पैथालॉजिस्ट्स
- ☐ अतिथि अध्यापक (विज़िटिंग टीचर)
- ☐ अन्य ____

मैं निम्नलिखित प्रमाणित करता/करती हूँ:

- मैंने इस विद्यार्थी सहायता सेवा गोपनीयता जानकारी और सहमति प्रपत्र को प्राप्त कर लिया और पढ़ लिया है।
- मैं यह समझता/समझती हूँ कि मेरी और मेरे बच्चे/मेरी बच्ची की व्यक्तिगत और स्वास्थ्य जानकारी किस प्रकार हार्ड कॉपी और इलेक्ट्रानिक फॉर्मेट में संकलित, प्राप्त, प्रयुक्त, प्रकट और प्रबंधित की जाएगी।
- मैं यह समझता/समझती और स्वीकार करता/करती हूँ कि प्रदान की गई सहमति तब तक जारी रहेगी जब तक मैं, या मेरा बच्चा/मेरी बच्ची किसी विक्टोरियाई सरकारी स्कूल में नामांकित है और विद्यार्थी सहायता सेवाओं का प्रदान किया जाना जारी है।
- मैं यह समझता/समझती हूँ कि मुझे या मेरे बच्चे/मेरी बच्ची को उपलब्ध कराई जाने वाली विद्यार्थी सहायता सेवाओं की सहमति को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।
- मैं यह समझता/समझती हूँ कि यदि विद्यार्थी सहायता सेवाओं द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि पहचान की गई सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है, तो मेरे या मेरे बच्चे/मेरी बच्ची के लिए विद्यार्थी सहायता सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। यदि भविष्य में कभी विद्यार्थी सहायता सेवाओं की फिर से आवश्यकता पड़ती है, तो एक नए सहमति प्रपत्र को भरना और उसपर हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा।

पहले व्यक्ति का नाम		**दूसरे व्यक्ति का नाम (वैकल्पिक)**	
बच्चे/बच्ची के साथ संबंध		**बच्चे/बच्ची के साथ संबंध**	
हस्ताक्षर		**हस्ताक्षर**	
दिनांक	____ / ____ / ________	**दिनांक**	____ / ____ / ________
विद्यार्थी का नाम		**स्कूल का नाम**	
विद्यार्थी के हस्ताक्षर (वैकल्पिक)		स्कूल के विद्यार्थी सहायता सेवा समन्वयक हैं: नाम: टेलीफोन:	
दिनांक	____ / ____ / ________		

यदि विद्यार्थी किसी अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर रहा है तो कृपया यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी की आयु अठारह वर्ष से अधिक है या वे DEECD की नीति के अनुसार मैच्योर माइनर (पूर्ण रूप से विकसित नाबालिग) के तौर पर वर्गीकृत है। और अधिक जानकारी के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न का सैक्शन देखें। कृपया ध्यान दें कि यदि इस प्रपत्र के सहमति भाग पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं तो आप या आपके बच्चे/आपकी बच्ची को विद्यार्थी सहायता सेवाएं प्राप्त नहीं हो सकती हैं।

स्टुडेंट स्पोर्ट सर्विसिज़ (विद्यार्थी सहायता सेवाएं) गोपनीयता की जानकारी और कन्सेन्ट फॉर्म (सहमति प्रपत्र) अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस भाग में कुछ सामान्य प्रश्न दर्शाए गए हैं। यदि आपको और अधिक सामान्य जानकारी की आवश्यकता है तो आप http://www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy.aspx पर उपलब्ध DEECD की गोपनीयता नीति को पढ़ना चाह सकते/सकती हैं।

DEECD की गोपनीयता नीति में यह जानकारी शामिल है कि किस प्रकार हम:

- व्यक्तिगत और स्वास्थ्य जानकारी का प्रबंध करते हैं
- डेटा की गुणवत्ता और सुरक्षा को संरक्षित करते हैं
- व्यक्तिगत और स्वास्थ्य जानकारी को संभाल कर रखते हैं
- व्यक्तिगत और स्वास्थ्य जानकारी को स्थानांतरित करते हैं।

वैकल्पिक रूप से, आप अपने स्कूल के SSS कॉर्डिनेटर (समन्वयक) से संपर्क कर सकते/सकती हैं।

SSS अधिकारी कौन होते हैं?

विद्यार्थी सहायता सेवा अधिकारियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **मनोवैज्ञानिक और मार्गदर्शन अधिकारी** – विद्यार्थियों, उनके परिवारों और स्कूलों को एक व्यापक मनोवैज्ञानिक सेवा प्रदान करते हैं; व्यक्ति-विशेषों, समूहों और परिवारों के साथ कार्य करते हैं; मनोवैज्ञानिक आंकलन प्रदान करते हैं; स्कूलों को ज्ञान-प्राप्ति और शिक्षण से संबंधित परामर्श देते हैं; विकलांगता से ग्रस्त विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम का समर्थन करते हैं; और जहाँ उचित हो, वहाँ स्कूलों में महत्वपूर्ण अवसरों में भाग लेते हैं।
- **स्पीच पैथालॉजिस्ट्स** – स्पीच पैथालॉजी सेवाएं प्रदान करते हैं, स्पीच और भाषा के आंकलनों का आयोजन करते हैं और प्रिंसिपलों, स्कूल के कर्मचारियों और माता-पिता को विकलांगता से ग्रस्त विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम की आवश्यकताओं और भाषा समर्थन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में सहायता प्रदान करते हैं।
- **सामाजिक कार्यकर्ता** – वैयक्तिक, समूह और पारिवारिक कार्य में शामिल होने के द्वारा और जहाँ उचित हो, वहाँ स्कूलों में महत्वपूर्ण अवसरों में भाग लेने के द्वारा विद्यार्थियों, उनके परिवारों और स्कूलों को सहायता प्रदान करते हैं।
- **अतिथि अध्यापक** – विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष शिक्षण और आंकलन प्रदान करते हैं, इसमें निरीक्षण, मूल्यांकन और प्रगति को सूचित करना और अध्यापकों को सलाह देना शामिल है। अतिथि अध्यापक श्रवण, दृष्टि, स्वास्थ्य, शारीरिक और अन्य शिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का आंकलन करते हैं और विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए अध्यापकों, इंटीग्रेशन (एकीकरण) सहयोगियों और माता-पिता के साथ मिलकर काम करते हैं।
- **अन्य एलायड हेल्थ अधिकारी** (जैसे कि व्यावसायिक थेरेपिस्ट्स या युवा कार्यकर्ता) जिन्हें एलायड हेल्थ सेवाएं प्रदान करने के लिए स्कूल, स्कूल नेटवर्क या क्षेत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है।

इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर कौन कर सकता/सकती है?

यदि आपकी या आपके बच्चे/आपकी बच्ची की आयु 18 वर्ष से कम है और आपको या उन्हें मैच्योर माइनर (पूर्ण रूप से विकसित नाबालिग) नहीं माना जाता है – तो निम्नलिखित में से कोई व्यक्ति इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है (व्यक्तिगत परिस्थितियों में जो भी लागू हो):

- कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास "दीर्घावधि की मुख्य समस्याओं" के लिए अभिभावकीय उत्तरदायित्व हो, जैसा कि *Family Law Act 1975 (पारिवारिक कानून अधिनियम 1975) (कॉमनवेल्थ)* में परिभाषित किया गया है
- कोई ऐसा व्यक्ति जिसे *Children Youth and Families Act 2005 (बाल, युवा एवं पारिवारिक अधिनियम 2005)* (विक्टोरिया) के आधार पर "संरक्षक" के तौर पर नियुक्त किया गया हो

उन परिस्थितियों में जहाँ उपरोक्त में से कोई भी व्यक्ति उपलब्ध न हो या उनसे संपर्क न किया जा सकता हो, तो सहमति निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त की जा सकती है।

1. **न्यायालय की ओर से नियुक्त संरक्षक**

यदि आपके या आपके बच्चे/आपकी बच्ची के लिए *Guardianship and Administration Act 1986 (संरक्षकता एवं प्रशासन अधिनियम 1986)* (विक्टोरिया) के आधार पर एक "संरक्षक" नियुक्त किया गया हो, तो संरक्षक को सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

2. **अनौपचारिक देखभाल-कर्ता**

अनौपचारिक देखभाल-कर्ता कोई ऐसा रिश्तेदार या अन्य जिम्मेदार वयस्क होता है जिसके साथ बच्चा/बच्ची रहता/रहती है, और जो बच्चे/बच्ची की रोज़मर्रा की देखभाल करता है। अनौपचारिक देखभाल-कर्ताओं के बारे में जानकारी के लिए स्कूल नीति परामर्शी संदर्शिका देखें: http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/participation/Pages/admission.aspx.

निम्नलिखित पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है:

- अनौपचारिक देखभाल-कर्ता को एक अनौपचारिक रिश्तेदार देखभाल-कर्ता सांविधिक घोषणा प्रदान करनी चाहिए ताकि एक अनौपचारिक देखभाल-कर्ता के रूप में उनकी स्थिति की पुष्टि की जा सके। इस सांविधिक घोषणा की एक प्रति http://www.ccyp.vic.gov.au से प्राप्त की जा सकती है।
- यदि दीर्घावधि की मुख्य समस्याओं के लिए अभिभावकीय उत्तरदायित्व वाले व्यक्ति और/या संरक्षकता प्रदान किए गए व्यक्ति से बाद में संपर्क किया जा सकता हो, तो उनकी सहमति लेने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- यदि दीर्घावधि की मुख्य समस्याओं के लिए अभिभावकीय उत्तरदायित्व वाला व्यक्ति और/या संरक्षकता प्रदान व्यक्ति बाद में सहमति देने से इंकार करता है या इसे वापस ले लेता है, तो उनका निर्णय अंतिम माना जाता है, और सेवाएं तुरंत ही बंद कर दी जाएंगी।

3. **मैच्योर माइनर (पूर्ण रूप से विकसित नाबालिग) विद्यार्थी**

यदि आपकी या आपके बच्चे/आपकी बच्ची की आयु 18 वर्ष से कम है परंतु आपको या उन्हें मैच्योर माइनर के तौर पर माना जाता है, तो वे अपने सहमति प्रपत्र पर स्वयं हस्ताक्षर करने में सक्षम होंगे। मैच्योर माइनर्स के बारे में जानकारी के लिए स्कूल नीति परामर्शी संदर्शिका http://www.education.vic.gov.au पर देखें।

4. **अठारह वर्ष या इससे अधिक की आयु के व्यक्ति**

यदि आप की या आपके बच्चे/आपकी बच्ची की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है – तो वे अपने सहमति प्रपत्र पर स्वयं हस्ताक्षर कर पाने में सक्षम होते हैं, बशर्ते कि बच्चे/बच्ची पर न्यायालय का आदेश (कोर्ट आर्डर) न लगा हो।

यदि माता-पिता तलाकशुदा हों या अलग हो गए हों, तो क्या होता है?

"इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर कौन कर सकता/सकती है" के जवाब में प्रदान की गई जानकारी यह निर्धारित करेगी कि यदि माता-पिता तलाकशुदा हों या अलग हो गए हों तो सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर कौन कर सकता/सकती है।

यदि कोई नया पार्टनर (सहजीवी), डी-फेक्टो माता-पिता या सौतेली माता/सौतेला पिता प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना चाहें, तो क्या होता है?

केवल अभिभावकीय उत्तरदायित्व वाला कोई व्यक्ति, कानूनी संरक्षक या अनौपचारिक देखभाल-कर्ता ही इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर सकता/सकती है। कोई नया पार्टनर (सहजीवी), डी-फेक्टो माता-पिता या सौतेली माता/सौतेला पिता इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता/सकती है।

State Government Victoria
Department of Education and Early Childhood Development

यदि बच्चा/बच्ची माता-पिता के साथ न रहता/रहती हो अथवा माता-पिता का पता न लगाया जा सकता हो, तो क्या होता है?

"इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर कौन कर सकता/सकती है" - इसके जवाब में प्रदान गई सूचना इस बात का निर्धारण करेगी कि बच्चे/बच्ची के माता-पिता के साथ न रहने या माता-पिता का पता न लगाए जाने की स्थिति में सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर कौन करेगा।

यदि "दीर्घावधि की मुख्य समस्याओं" के लिए अभिभावकीय उत्तरदायित्व वाला व्यक्ति/वाले व्यक्ति या संरक्षकता के दायित्व वाला व्यक्ति/वाले व्यक्ति सेवा के प्रावधान को लेकर असहमत हों, तो क्या होता है?

उन सभी व्यक्तियों से सहमति लेने का निवेदन किया जाना चाहिए जिन्हें "दीर्घावधि की मुख्य समस्याओं" का अभिभावकीय उत्तरदायित्व प्राप्त हो या जिन्हें बच्चे/बच्ची की "संरक्षकता" का अधिकार हो।

यदि किसी ऐसे एक व्यक्ति से सहमति प्राप्त होती है जिसे "दीर्घावधि की मुख्य समस्याओं" का अभिभावकीय उत्तरदायित्व प्राप्त है या जिसे बच्चे/बच्ची की "संरक्षकता" का अधिकार है, तो सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।

परंतु - यदि कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति सेवाओं के लिए सहमति से मना करता है जिसे "दीर्घावधि की मुख्य समस्याओं" का अभिभावकीय उत्तरदायित्व प्राप्त है या जिसे बच्चे/बच्ची की "संरक्षकता" का अधिकार है, तो सेवाएं शुरु नहीं की जानी चाहिए। यदि सेवाएं पहले ही शुरु हो गई हैं, तो उन्हें बंद कर देना चाहिए बशर्ते कि बच्चे/बच्ची के जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण को कोई गंभीर या सन्निकट खतरा न हो।

सभी प्रासंगिक पक्षों से उचित सहमति प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि स्कूल उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों से मिले जिसे/जिन्हें "दीर्घावधि की मुख्य समस्याओं" का अभिभावकीय उत्तरदायित्व प्राप्त है या जिसे/जिन्हें "संरक्षकता" का अधिकार है। यदि बैठक के द्वारा इसे हासिल नहीं किया जा सकता हो, तो पक्षों को आवश्यकतानुसार मध्यस्थता, ट्रिब्यूनल या न्यायालय को रेफर किए जाने की आवश्यकता पड़ सकती है।

स्कूलों को इन प्रपत्रों के साथ क्या करना चाहिए?

अभिभावकीय उत्तरदायित्व, संरक्षकता या अनौपचारिक देखभाल-कर्ता स्थिति से संबंधित मूल प्रपत्र और दस्तावेजी साक्ष्य को स्कूल द्वारा संभाल कर रखा जाना चाहिए ताकि यह दर्शाया जा सके कि सहमति उचित रूप से ली गई थी।

सहमति प्रपत्र और दस्तावेजी प्रमाण की एक प्रति निम्नलिखित को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए:

- ऐसा एक व्यक्ति जिसने या एक से अधिक व्यक्ति जिन्होंने विद्यार्थी सहायता सेवाओं को रेफर किए जाने की सहमति दी हो; और
- SSS अधिकारी।

सहमति प्रपत्र को केस को तैयार करने की प्रक्रिया के भाग के तौर पर स्टुडेंट ऑनलाइन केस सिस्टम (SOCS) में अपलोड किया जा सकता है। व्यक्तिगत और स्वास्थ्य जानकारी के अवरोधन के बारे में अन्य जानकारी के लिए हमारी गोपनीयता नीति देखें।

सूचना को किस प्रकार संग्रहित किया जाता है?

प्रासंगिक सूचना को विभाग की गोपनीय विद्यार्थी फाइल में हार्ड कॉपी के रूप में अभिलिखित और संग्रहित किया जाएगा। इस फाइल को विद्यार्थी सहायता सेवाओं की फाइल संग्रहण और DEECD की रिकॉर्ड्स प्रबंधन नीतियों के लिए नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के अनुसार एक सुरक्षित स्थान में रखा जाएगा।

सूचना को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट और/या स्टुडेंट ऑनलाइन केस सिस्टम में अभिलेखित या संग्रहित किया जा सकता है। यह केस सिस्टम केस प्रबंधन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया उपलब्ध कराता है।

केवल आपके या आपके बच्चे/आपकी बच्ची के साथ काम करने वाले विद्यार्थी सहायता सेवा अधिकारी ही हार्ड कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक फाइलों को ऐक्सेस कर पाने में सक्षम होंगे।

विद्यार्थी के किसी दूसरे विक्टोरियाई सरकारी स्कूल में स्थानांतरण करने पर क्या होता है?

यदि सेवाएं प्राप्त करने के दौरान विद्यार्थी किसी दूसरे विक्टोरियाई सरकारी स्कूल में स्थानांतरण करता है, तो नए नामांकन के समाप्त होने के पश्चात फाइल तथा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रासंगिक स्कूल या SSS अधिकारी को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे।

यह आवश्यक है कि सभी फाइलों को विद्यार्थी सहायता सेवाओं की फाइल संग्रहण और DEECD की रिकॉर्ड्स प्रबंधन नीतियों के लिए नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के अनुसार सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाए। इन नीतियों की प्रति के लिए कृपया privacy.enquiries@edumail.vic.gov.au पर ई-मेल करें।

क्या मैं सहमति वापस ले सकता/सकती हूँ?

अपने SSS अधिकारी या अपने बच्चे/अपनी बच्ची के स्कूल को लिख कर सहमति किसी भी समय वापस ली जा सकती है। ऐसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि अब आपको या आपके बच्चे/आपकी बच्ची को विद्यार्थी सहायता सेवाओं की आवश्यकता नहीं है अथवा आप या आपका बच्चा/आपकी बच्ची अब विद्यार्थी सहायता सेवाएं प्राप्त करना नहीं चाहते/चाहती हैं। विद्यार्थी सहायता सेवाओं से सहमति वापस लेने से पहले - हम यह सुझाव देते हैं कि आप स्कूल के कर्मचारियों और/या SSS अधिकारियों से इसकी चर्चा करें।

सहमति वापस लेने का अर्थ है कि आपको या आपके बच्चे/आपकी बच्ची को मिलने वाली औपचारिक विद्यार्थी सहायता सेवाएं बंद हो जाएंगी।

सेवाओं की पुन: आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है?

सेवाओं के एक बार समाप्त होने पर - विद्यार्थी सहायता सेवाओं को प्राप्त करने की सहमति को स्वत: ही रिएक्टिवेट (पुन: सक्रिय) नहीं किया जा सकता है। यदि भविष्य में विद्यार्थी सहायता सेवाएं चाहिए हों, तो एक नए केस (मामले) को तैयार करना, और एक नए सहमति प्रपत्र को भरके उसपर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।

Department of Education and Early Childhood Development